



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY  
मंडल कार्यालय, कार्मिक विभाग, किंग्सवे, नागपुर-440001  
DIVISIONAL OFFICE, PERSONNEL  
DEPARTMENT, KINGSWAY, NAGPUR-440001



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

No.P/NGP/SET/2023/Thematic Pension Adalat

Date: 14.09.2023

**अधिसूचना**

विषय: अखिल भारतीय रेलवे विषयगत (Thematic) पेंशन अदालत का आयोजन, दिनांक: 20.09.2023.

सन्दर्भ:1.) उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मानव संसाधन विकास)/द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर के पत्र क्र.P-HQ/ Sett./

953/Pen-Ad/2023/2189 dated: 13.09.2023.

2.) Railway Board letter no. E(W)/2023/PA/2 dtd.11.09.2023.

\*\*\*\*\*

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रानुसार एव दिए दिशानिर्देशानुसार भारतीय रेलवे पर दिनांक 20.09.2023 को विषयगत (Thematic) अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें, निम्नलिखित को कवर करने के लिए लंबित पीपीओ के मुद्दे में तेजी लाने के लिए "20.09.2023 को राष्ट्रव्यापी विषयगत पेंशन अदालत" के आयोजन के लिए मुख्यालय/बीएसपी के निर्देशानुसार:

1. दिनांक 30.06.2023 तक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के मामले जिसमें आज तक पीपीओ जारी नहीं किए गए हैं।
2. दिनांक 31.03.2023 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरण जिनमें आज दिनांक तक पीपीओ जारी नहीं किये गये हों।
3. दिनांक 31.03.2023 तक शासकीय सेवकों की मृत्यु के प्रकरण जिनमें पारिवारिक पेंशन आज तक स्वीकृत नहीं हुई है।
4. दिनांक 31.03.2023 तक झूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के मामले जिनमें केवल अनंतिम/साधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई है और सीसीएस (ईओपी) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन का दावा किया गया है।
5. ऐसे मामले जिनमें पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेंशन संवितरण बैंक को जमा कर दिया गया है और पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम पीपीओ में दिए जाने पर बैंक द्वारा प्राप्ति के एक महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं की गई है।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन के कम्प्यूटेशन मूल्य/डीसीआरजी के बकाया सम्बन्ध में अभ्यावेदन वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/ निपटारा अनुभाग, द.पू.म. रेलवे, नागपुर-440001 के कार्यालय में निम्नलिखित प्रारूप में दो प्रतियों में भेजा जा सकता है।

01	पूरा नाम	
02	पत्राचार के लिए पता, पिन कोड के साथ (मोबाईल नम्बर अति आवश्यक)	
03	अंतिम पदनाम	
04	विभाग	
05	ईकाई	
06	सेवानिवृत्ति की तिथि और स्थान	
07	PPO No.	
08	बैंक/पेंशन आहरण शाखा का नाम	
09	पेंशन खता सन..	
10	शिकायत की प्रकृति(पूरा विवरण दिया जाना चाहिए)	
11	क्या शिकायत किसी पूर्व पेंशन अदालत में प्रस्तुत की गई है, यदि ऐसा है तो विवरण प्रस्तुत किया जाए।	



संलग्नको के साथ विवरण वाले कवर पर "पेंशन अदालत 20 सितम्बर -2023" लिखा हुआ होना चाहिए। पूर्व पेंशन अदालत, 86 पूर्व, 86 के बाद के मामले में अंतिम रूप दिए गए मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, पेंशन अदालत के तहत विशेष रूप से कवर नहीं किए गए किसी भी नीतिगत मामले पर कानूनी बिन्दुओं/निहितार्थों या रेल मंत्रालय से लम्बित स्पष्टीकरण से सम्बन्धित दावों को पेंशन अदालत में पेश नहीं किया जाएगा।

दिनांक 20.09.2023 को आयोजित अखिल भारतीय रेलवे विषयगत (Thematic) पेंशन अदालत में अलग-अलग मामले का फैसला करने के लिए अभ्यावेदन 18.09.2023 को या उससे पहले इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।



(कमलेशकुमार आर. बोरकर)

सहायक कार्मिक अधिकारी-III,

द.पू.म. रेलवे, नागपुर

प्रतिलिपी: जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही के साथ नोटिस बोर्ड पर व्यापक प्रचार के साथ अग्रेषित: 1.)वरि.म.वित्त प्रबन्धक/नागपुर 2.)सभी शाखा अधिकारी 3.)मुख्य कार्यालय अधिक्षक G) for kind information of DRM/ADRM 4.)सभी अनुभाग कल्याण निरिक्षक, नागपुर मंडल 5.)मंडल समन्वयक/SECRMC 6.)सचिव SC-ST Association/NGP 7.) PCPO/द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर 8.) AAO(पेंशन) द.पू.म. रेलवे, बिलासपुर 9.)पेंशनभोगी संघ / द.पू.म. रेलवे, नागपुर मंडल।



कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी/नागपुर